न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 पुनरीक्षण टीकमगढ़

जगतराज पुत्र हलके कुर्मी आयु- 90 साल, व्यवसाय काश्तकारी, निवासी- ग्राम तरीचर कला, तहसील निवाणी जिला टीकमगढ़ ---- आवेदक

बनाम

1. लक्ष्मण कौरी पुत्र श्री बनमाली कौरी निवासी- ग्राम तरीचर कला, तहसील निवाणी जिला टीकमगढ़
2. राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचर कला,

-- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 18/5/2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, तरीचर कला तहसील निवाढ़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 06-अ-12/2013-14 व उनवान लक्ष्मण कौरी

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आदिक्षक भू-अभिलेख टीकमगढ़ से राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचलकला को भेजे गये आवेदन पत्र के आधार पर प्रथम आदेश पत्रिका दिनांकी 10/4/2014 को प्रकरण कमांक 06-अ-12/2013-14 पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2670–तीन / 2014 जिला–टीकमगढ़

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–11–16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0 भटनानगर उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। 4/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, तरीचर कला, निवाढ़ी, जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्र0क्र0 06–अ–12 /2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18–05–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 5/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक क्र0 1 लक्ष्मण सिंह कौरी द्वारा कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, तरीचर कला, निवाढ़ी, जिला–टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर	

सर्वे क्र0 913/1 रकबा 0.502 हैक्टर स्थित कृषि भूमि तरीचर कलां का सीमांकन किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर राजस्व निरीक्षक मण्डल, तरीचर कला, निवाढ़ी, जिला–टीकमगढ़ ने अनावेदक क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर सर्वे क्र0 913/1 रकबा 0.502 हैक्टर मौजा तरीचरकलां का सीमान कैशपुरा कुवां एवं खसरा नं0 870 एवं बन्दोबस्ती मेड़ों को सत्यापित कर किया गया। सीमा चिन्ह समझाये गये। सरहदी पत्थर गढ़वाये गये। सीमांकन के दौरान आवेदक एवं सरहदी कृषक उपस्थित रहे। आवेदित भूमि के रकबा 0.032 है0 पर सरहदी कृषक जगत राजत तथा हल्कू कुर्मी का कब्जा पाया गया। शेष सम्पूर्ण रकबा पर अनावेदकगण कृषि कार्य कर रहे है। मेरे मतानुसार राजस्व निरीक्षक मण्डल, तरीचर कला, निवाढ़ी, जिला–टीकमगढ़ ने विधिसंगत है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक मण्डल, तरीचर कला, निवाढ़ी, जिला–टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–05–2014 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य